राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49/पार्ट–6/संस्था/बीमा/2021/ दिनांक : 09-12-2021

आदेश 543

लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा, 2013 के एससी/एसटी बैकलॉग के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक–अप कर चयनित अभ्यर्थियों में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध प्रतीक्षा सूची से प्राप्त अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांकःप.1(1)प्र.सु./अनु–3/2020–NJRs दिनांक 20.10.2021 के द्वारा विभाग को आवंटित निम्नांकित 01 अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार **दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee)** के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर निम्नलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्रम संख्या	मेरिट क्रमांक	रोल न.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम श्री	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
1	25142	1655512	MAHESH KUMAR MEENA	SURESH KUMAR MEENA	15-07-1997	ST	जयपुर ग्रामीण

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. राज्य में कोरोना वायरस (covid-19) को महामारी घोषित किये जाने राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित जिला कार्यालय में पद कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को लिखित सूचित कर देवें । निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय राजस्थान, उच्च न्यायालय, की खण्डपीठ, जयपुर में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय

सर्वोच्च न्यायलय में की गई एस.एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्ययीन होगा।

4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश सं. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत **नवीन अंशदायी पेंशन योजना** के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
5. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत रिपोर्ट (Adverse report) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की **अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त** किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र सत्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं **प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।**
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की **अपनी सहमति लिखित रूप** में प्रस्तुत करनी होगी।
9. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई **वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।**
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या – 5 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
12. चयनित परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि **राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार** देय होंगे।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। **अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।**
14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का **यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
15. अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, घोषणा पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने **सम्बन्धी शपथ पत्र /घोषणा पत्र एवं अन्य शपथ पत्रों का मूल रूप (Original Documents) का मिलान एवं सत्यापन करवाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण (Duty Joining) स्वीकार किया जावेगा तथा इनकी सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।**

(शरद मेहरा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ1(ए)49 / पार्ट–6 / संस्था / बीमा / 2021 / 10518-530 दिनांक : 09-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक: प.1(1)प्र.सु. / अनु–3 / 2020– NJR s दिनांक 20.10.2021 के क्रम में।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग–प्रथम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ग्रामीण, को निर्देशित किया जाता है कि दिशा निर्देशो के बिन्दु संख्या **15** की पालना सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पादित की जावें। आप अभ्यर्थी से उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में जांच करते हुए दस्तावाजों की सत्य प्रतिलिपियां **(Certified/Self Attested Documents)** प्राप्त करते हुए नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।
8. संयुक्त निदेशक (संस्थापन) / एपीएआर सैल, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित चयनित कार्मिक।
10. वरिष्ठता निर्धारक लिपिक / केडर स्ट्रेंथ लिपिक
11. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली / सिस्टम एनालिस्ट।

09/12/2021

(किशनाराम ईशरवाल)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान, जयपुर।